(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की समीक्षा और अधिनियमों को अद्यतान बनाए जाने के कार्य से आम जनता को लाभ पहुंचेगा और पर्यावरण परियोजना के सुचारू और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वन नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पुनरीक्षा का कार्य पूरा हो गया है और इसकी सिफारिशों भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) संशोधित वन नीति में भोगाधिकार में हिस्सेदारी के माध्यम से वनों की सुरक्षा और विकास में समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा और वानिकी सेक्टर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभावित स्रोतों के बारे में भी सुझाव दिया जाएगा।

जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क में भांग की खेती

1138. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व प्रसिद्ध जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सर्वाधिक रमणीक पर्यटन स्थलों पर भांग जैसे मादक पदार्थों की खेती हो रही है;

(ख) क्या उक्त मादक पदार्थों की खेती उद्यान के वरिष्ठ अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रही है जिसके कारण स्थानीय प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों के विरुद्ध कब तक और क्या कार्रवाई करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) जी नहीं। यह सही है कि कार्बेट नेशनल पार्क हिमालय की पादगिरियों में स्थित है जहां भांग का पौधा स्वतः उगता है। इसकी कोई खेती नहीं की जाती। स्वतः उगने वाले पौधों की संख्या कम करने के लिए, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, उन्हें समय-समय पर उखाड दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Units Dealing with Poached Rare Animal Skins

1139. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have any idea of processing units in the country which deal with poached rare animal skins;

(b) who is the owner of the unit; and

(c) how Government are going to deal with the whole case?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (c) Although the country-wide position of units dealing in skins of poached rare wild animals is not available, whenever any such case comes to light, action is taken against such units under the wildlife laws and regulations.

Action against Poachers of rare Species of Animal

1140. SHRI BRATIN SENGUPTA:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how many poachers of rare species of animasl have been brought to book so far since 1990;